महत्वपूर्ण एवं खास

19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध

भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रात: 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

ईवीएम मशीनों का प्रथम रेण्डमाईजेशन 8 अप्रैल को

रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन-2024 में उपयोग होने वाले ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का प्रथम रेण्डमाईजेशन 8 अप्रैल 2024 को दोपहर 2 बजे से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सह रिटर्निंग ऑफिसर संसदीय क्षेत्र 02 रायगढ़ की उपस्थिति में जिला कार्यालय एनआईसी कक्ष में किया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को निर्धारित तिथि एवं समय पर एनआईसी कक्ष में उपस्थित होने हेतु आग्रह किया है।

राज्य व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित हुए प्रशिक्षणार्थियों का एसटीसी प्रमाण-पत्र संस्था में उपलब्ध

रायगढ़। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खरसिया, जिला-रायगढ़ में प्रशिक्षण सत्र 2005 से 2008 तक के व्यवसाय-फिटर एवं प्रवेश सत्र 2009 से 2017 व्यवसाय कोपा के प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी जो कि राज्य व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनका एसटीसी प्रमाण-पत्र संस्था में उपलब्ध है। अतएव वे प्रशिक्षणार्थी जो संस्था में उक्त प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षणरत थे वे संस्था में आकर अपना एसटीसी प्रमाण-पत्र कार्यालय के प्रशिक्षण शाखा से प्राप्त कर सकते है।

लोकसभा निर्वाचन में वाहन अधिग्रहण के लिए वाहन मालिकों से आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन कार्य के लिए वाहनों की व्यवस्था हेतु वाहन मालिक से आवेदन आमंत्रित है। निर्वाचन कार्य के लिए इच्छुक नागरिक अपने वाहन जैसे-कार, ट्रेक्टर, बड़े-छोटे मालवाहक आदि अधिग्रहित (किराये) पर अधिग्रहित करा सकते हैं। वाहन अधिग्रहण के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय मंडी परिसर सारंगढ़ में आवेदन जमा कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए सहायक नोडल अधिकारी वाहन विरेन्द्र जोल्हे से 9303919139 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिग्रहण के लिए वाहन और वाहन चालक के वैध दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। निर्वाचन के बाद इन अधिग्रहित वाहनों के किराए का भुगतान किया जाएगा।

एमसीएमसी टीम का प्रशिक्षण संपन्न

सारंगढ़ बिलाईगढ़। लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार आदर्श आचरण संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए जिले में गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के दलों को कलेक्टोरेट में प्रशिक्षण दिया गया। नोडल अधिकारी एमसीएमसी देवराम यादव के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट, रेडियो और सोशल मीडिया टीम को पैड न्यूज, फेक न्यूज, अभ्यर्थियों द्वारा मीडिया सर्टिफिकेशन एवं अनुप्रमाणन के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान एमसीएमसी टीम कार्य किए ममता साहू, पूनम महिलाने, संजीता मिंज, अंजूलता कुजूर और देवानंद सोनी, शिवशंकर साहू पुनः लोकसभा एमसीएमसी टीम में कार्य कर रहे हैं।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय : सेजेस पोर्टल में एडमिशन प्रक्रिया 10 अप्रैल से होगी प्रारंभ

❐ प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई

❐ आवेदन ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से होंगे स्वीकार

रायगढ़

राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार प्रदेश के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में सत्र 2024-25 में छात्र-छात्राओं के लिए प्रवेश की प्रक्रिया सेजेस पोर्टल में 10 अप्रैल से प्रारंभ कर दी जाएगी। जिसके तहत प्रवेश हेतु आवेदन तिथि 10 अप्रैल से 5 मई 2024 निर्धारित है। इसी तरह अधिक आवेदन की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से सीट आबंटन की कार्यवाही 5 से 10 मई तक तथा एडमिशन की अन्य आवश्यक कार्यवाही 11 से 15 मई 2024 तक की जाएगी। छात्र-छात्राएं वेबसाईट https://cgschool.in/saems/login.aspx में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सत्र 2023-24 में 403 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तथा 348 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय संचालित है।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एडमिशन हेतु दिए गए निर्देश

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा। जिसमें एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकेंगे। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राज्य में पूर्व से चल रहे अंगे्रजी माध्यम के 152 प्राथमिक तथा 153 पूर्व माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को कक्षा 6 वीं एवं कक्षा 9 वीं में प्राथमिकता से एडमिशन दिया जाएगा। महतारी दुलार योजना अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। एडमिशन हेतु आवेदन पत्र के साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जाएगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेगी। बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध प्रवेश दिया जाएगा। पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात कम्प्यूटर के माध्यम से रेंडमली चयन किया जाएगा। रिक्त सीट के विरूद्ध अधिक पात्र आवेदक होने पर लॉटरी से चयन किया जाएगा। कक्षा पहली में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की आयु 31 मई 2024 की स्थिति में 5 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होनी चाहिए।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय में एडमिशन हेतु दिए गए निर्देश- स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा। उसी विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। जिसमें एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकेंगे। महतारी दुलार योजना अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। एडमिशन हेतु आवेदन पत्र के साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कन्या विद्यालयों को छोड़कर शेष विद्यालयों में सह शिक्षा होगी तथा इनकी प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जाएगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेगी। बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध प्रवेश दिया जाएगा। पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 25 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात कम्प्यूटर के माध्यम से रेंडमली चयन किया जाएगा। स्कूल की क्षमता अनुसार प्रवेश देने का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाले सोसायटी को होगा। कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात कम्प्यूटर के माध्यम से रेंडमली चयन किया जाएगा। इन विद्यालयों में कक्षा 6 वीं एवं कक्षा 9 वीं में प्रवेश सोसायटी के निर्णय अनुसार लिये जायेंगे।

एक्सिस बैंक डकैती में शामिल आरोपियों का "गेट पैटर्न एनालिसिस'' रिपोर्ट आयी पॉजिटिव

❐ डकैतों को सजा दिलाने अहम साबित होगी रिपोर्ट

रायगढ़

पिछले साल माह सितंबर में रायगढ़ जिले में हुये एक्सिस बैंक डकैती में पकड़े गये आरोपियों का कोतवाली पुलिस द्वारा "गेट पैटर्न एनालिसिस" जांच कराया गया, जिसकी रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस गुजरात से प्राप्त हुई है।

एक्सिस बैंक डकैती मामले से संबंधित थाना कोतवाली रायगढ़ के अप.क्र. 696/2023 धारा 395, 397, 506, 323, 342 आईपीसी 25, 27 आर्म्स एक्ट की प्रकरण में गिरफ्तार किये गये आरोपियों की पहचान स्थापित कराने एवं अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलन के लिये आरोपियों का उनके गेट पैटर्न एनालिसिस जांच कराने निर्देशित किया गया था। कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों का सुव्यवस्थित वातावरण में गेट पैटर्न एनालिसिस करने हेतु उनके चाल-ढाल का सैंपल लेकर परीक्षण के लिए डायरेक्टर ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस गुजरात भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। यह रिपोर्ट आरोपियों की पहचान पुख्ता करने में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के रूप अहम साबित होगी। आगे भी इस प्रकार की नई-नई तकनीक को उपयोग पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उपयोग में लाया जावेगा। विदित हो कि एक्सिस बैंक डकैती में रायगढ़ पुलिस को ऐतिहासिक रूप से शत प्रतिशत लूट की रकम बरामद करने और 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।

मोटर पंप, केबल वायर के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी में प्रयुक्त मोटर सायकलल जब्त

रायगढ़

खरसिया पुलिस द्वारा खेत में सिंचाई के लिए लगाए गए मोटर पंप चोरी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 2 मार्च 2024 को थाना खरसिया में मोटर पंप चोरी की रिपोर्ट कृष्ण मुरारी यादव (उम्र 54 वर्ष) निवासी ग्राम तिउर द्वारा उसके खेत में बने कमरा अंदर सिंचाई के लिए लगे एचपी कंपनी के मोटर पंप, वायर और बिजली पैनल को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 130/2024 धारा 457, 380 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद किया गया। थाना प्रभारी खरसिया एवं प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में माल मुल्जिम दौरान आज ग्राम तिउर के संदिग्ध व्यक्तियों को मुखबिर सूचना पर पकड़ा गया जिनसे दो चोरियों का खुलासा हुआ है। पंप चोरी में शामिल आरोपी (1) नरेश गबेल उर्फ ननकी पिता रामकुमार गबेल उम्र 28 साल, (2) किशोर गबेल पिता मनमोहन सिंह गबेल उम्र 23 साल (3) राकेश कुमार सिदार पिता लक्ष्मी नारायण सिदार उम्र 19 साल तीनों निवासी ग्राम तिरूर थाना खरसिया ने पूछताछ पर मोटर सायकल का उपयोग कर 29 फरवरी की रात्रि ग्राम तिउर में खेत के कमरा से मोटर पंप, 200 मीटर वायर और बिजली पैनल कीमती करीब 16,000 रुपए को चोरी करना बताया आरोपियों के मेमोरेंडम पर चोरी की मसरूका तथा घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटर साइकिल सीजी 12 बीएच 3933 कीमती 70,000 रुपए की जप्ती की गई है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश मरकाम तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खरसिया प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खरसिया एवं प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल, उपनिरीक्षक ऐनु देवांगन, प्रधान आरक्षक बीरछ सांडे, आरक्षक विशोप सिंह, प्रदीप तिवारी एवं हमराह स्टाफ की माल मुल्जिम पतासाजी में अहम भूमिका रही है।

निर्वाचन में नामांकन का कार्य महत्वपूर्ण, सजगता से करें कार्य- कलेक्टर

❐ नाम निर्देशन के संबंध में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने ली बैठक

रायगढ़

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार लोकसभा निर्वाचन के संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नाम निर्देशन के संबंध में बैठक ली। कलेक्टर गोयल ने कहा की निर्वाचन की प्रक्रिया में नामांकन एक महत्वपूर्ण चरणों में से एक है इसमें त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रत्येक कार्य को सजगता से करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, एसडीएम प्रवीण तिवारी, डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा सहित नामांकन प्रक्रिया के लिए नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 2-रायगढ़ से निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्यालय के मुख्य द्वार से होकर न्यायालय कलेक्टर के कक्ष में नामांकन दाखिल कर सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में अभ्यर्थियों एवं प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 लोग प्रवेश कर सकते है। यहां फोटोग्राफी पूर्णत: प्रतिबंधित होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर गोयल ने कहा कि पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक की अवधि में नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अनुमति होगी। इस दौरान उन्होंने नामांकन प्रक्रिया, दस्तावेज, चेक लिस्ट जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक अवकाश की तिथि में नाम-निर्देशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि नामांकन पत्र जमा करने पर उसकी अच्छी तरह परीक्षण करें। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्यय हेतु नामांकन से कम से कम एक दिन पूर्व खुलवाये गये बैंक खाते का विवरण देना होगा। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन कार्यक्रम की सार्वजनिक घोषणा के पश्चात इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आरओ, एसएआरओ कार्यालय के साथ निर्वाचन क्षेत्र के भीतर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत सहित अन्य शासकीय कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि का उल्लेख होगा। नाम निर्देशन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय अथवा उस राज्य में मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी हेतु उस निर्वाचन क्षेत्र के 01 प्रस्तावक आवश्यक है। इसी तरह गैर मान्यता प्राप्त परंतु पंजीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों को उस निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 10 प्रस्तावक आवश्यक है। इस दौरान मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल द्वारा कार्य विभाजन, नामांकन प्रस्तावक, नामांकन प्रस्तुतकर्ता, अंतिम समय, प्रवेश की सीमा, आरंभिक समीक्षा, चेक लिस्ट, नामांकन रसीद, नामांकन शपथ, समय-सीमा, नामांकन पत्र के सहअभिलेख, बैंक खाता और पासबुक, नामांकन के बाद के कार्य, संवीक्षा, निरस्त करने के आधार, विशेष प्रकरण जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी।

उड़नदस्ता दल के साथ भूपदेवपुर पुलिस ने कार से जब्त की साड़ी, जींस व रेडीमेड कपड़े

रायगढ़

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रभावी आचार संहिता का पालन करने सभी थाना क्षेत्र में उड़नदस्ता व स्थैतिक निगरानी दल सक्रिय होकर विभिन्न मार्गो में वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 04/04/2024 को भूपदेवपुर क्षेत्र में सक्रिय उड़नदस्ता दल द्वारा सुबह ग्राम नहरपाली मोनेट कंपनी के पास वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान ओमनी वाहन CG 13 UB 6764 में काफी संख्या में साड़ी, जींस, रेडीमेड कपड़े वगैरह परिवहन होते पाया गया। वाहन चालक यदुनाथ साहू पिता छोटेलाल साहू उम्र 44 साल निवासी लोढाझर थाना भूपदेवपुर जिला रायगढ़ को परिवहन सामान के संबंध में बिल पेश करने कहा गया जिसके पास परिवहन संपत्ति का बिल नहीं था। अनावेदक यदुनाथ नाथ साहू द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करना पाए जाने पर थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक रामकिंकर यादव द्वारा धारा 102 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर अनावेदक से करीब 1,50,000 रुपए संपत्ति (साड़ी, रेडीमेड कपड़े) की जप्ती की गई है। उड़नदस्ता दल में प्रभारी दिलबादर सिंह झाप, प्रिंस लहरे, सुरून डनसेना, सहायक उप निरीक्षक बी.के. डनसेना शामिल थे।

बाइक पर शराब परिवहन कर रहा युवक गिरफ्तार, 10 लीटर महुआ शराब और बाइक जब्त

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर आसन्न लोकसभा के मद्देनजर पुलिस की सघन जांच पड़ताल एवं मादक पदार्थो पर कार्रवाइ जारी है। इसी क्रम में आज दोपहर थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक मोटर सायकल पर महुआ शराब लेकर उर्दना इंदिरा विहार होते बोइरदादर चौक की ओर जा रहा है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा अपने स्टाफ से सूचना साझा कर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा बोइरदादर चौक पर घेराबंदी कर आरोपी जगन्नाथ मिंज पिता संतोष मिंज उम्र 21 साल निवासी उर्दना थाना कोतवाली रायगढ़ को मोटरसाइकिल होंडा शाइन क्रमांक सीजी 13 AQ 8051 में दो-दो लीटर क्षमता वाली 5 प्लास्टिक बोतल में महुआ शराब परिवहन करते पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से कुल 10 लीटर महुआ शराब कीमती रु.2,000 तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल होंडा साइन कीमत करीब रु.60,000 की जप्ती कर आरोपी के कृत्य पर थाना चक्रधर नगर में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्यवाही में प्रधान आरक्षक संजय तिवारी और आरक्षक रंजीत कुमार भगत शामिल थे।

जिला मलेरिया एवं कुष्ठ अधिकारी डॉ.कुलवेदी ने किया सीएचसी लोईंग एवं पीएचसी भगोरा का किया निरीक्षण

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.वी.के.चन्द्रवंशी के निर्देशन में आज जिला मलेरिया एवं कुष्ठ अधिकारी डॉ.टी.जी.कुलवेदी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोईंग तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगोरा, जिला-रायगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। डॉ.टी.जी.कुलवेदी द्वारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.हितेश जायसवाल एवं विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक वैभव डियोडिया की उपस्थिति में अस्पताल के विभिन्न क्षेत्रों-ओ.पी.डी., आई.पी.डी., दवा वितरण कक्ष, इंजेक्शन कक्ष, लैब, एक्स-रे कक्ष, प्रसव कक्ष, औषधि भण्डार गृह एवं कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात सेक्टर सुपरवाईजरों का बैठक लेकर समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राज्य शासन से प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शंकास्पद मलेरिया प्रकरणों का जांच एवं उपचार, फाईलेरिया एवं हाईड्रोसिल मरीजों की सूची अद्यतन करने, नये कुष्ठ मरीजों के पहचान करने, सिकल सेल जांच करने एवं स्वास्थ्य संस्था में समस्त अधिकारी/कर्मचारी को मुख्यालय में निवास करने, निश्चित समय में ड्यूटी में उपस्थित होने, स्वास्थ्य सेवायें 24&7 संचालित किये जाने, ओ.पी.डी. एवं आई.पी.डी. में मरीजों का नियमित देखभाल और ए.एन.सी. पंजीयन एवं संस्थागत प्रसव में वृद्धि, समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के समस्त अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480